

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

30 JUN 2014

क्रमांक प. 1( 114 )एमई/ग्रुप-1/2014

जयपुर, दिनांक

आदेश

निःशुल्क जांच योजना के तहत पैथोलोजी विभाग में पूर्णतः अस्थाई/आवश्यक आधार पर प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज उदयपुर के प्रस्तावानुसार चयन समिति की सिफारिश पर निम्नांकित सहायक आचार्य को आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह अथवा नियमित रूप से पद भरे जाने या अग्रिम आदेश तक पूर्णतया आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियत मानदेय पर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक	पद	विशिष्टता	श्रेणी	जन्मतिथि
1.	डॉ० सुनन्दा चौहान	सहायक आचार्य	पैथालोजी	सामान्य	10.01.1986
2.	डॉ० धर्मेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य	पैथालोजी	सामान्य	05.10.1981

उपरोक्त नियुक्त सहायक आचार्यों के चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्याधीन होगी। इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से दस दिवस में अपने पदस्थान स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी। यह नियुक्ति राजस्थान मेडिकल सर्विस (कालेजियेट ब्रांच) रूल्स, 1962 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/ निर्देशों के अध्याधीन होगी।

आज्ञा से,

*Sd/-*

(धन्नालाल)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, उदयपुर को उनके पत्रांक 159, दिनांक 31.01.2014 व 2211, दिनांक 20.12.2013 के सन्दर्भ में।
4. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा प्रधानाचार्य।
5. रक्षित पत्रावली।

*mmw*

उप शासन सचिव